भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2003
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य अपव्यय को कम करने की पहल

†2003. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में प्रमुख कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में खेत-द्वार पर, परिवहन के दौरान और प्रसंस्करण चरण में होने वाले खाद्य नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हॉं, तो विशेष रूप से फल, सब्जियां और डेयरी जैसी नाशवान वस्तुओं के संबंध में मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य नुकसान को न्यूनतम करने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय कार्य योजना विकसित करने हेतु अन्य मंत्रालयों (जैसे कृषि, उपभोक्ता मामले, आदि) और राज्य सरकार के साथ समन्वय कर रही है;

(घ) यदि हाँ तो ऐसे समन्वयन तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण, बेहतर रसद या पैकेजिंग समाधान जैसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है जो सीधे तौर पर खाद्य अपशिष्ट में कमी लाते हैं और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) के माध्यम से वर्ष 2020-22 के संदर्भ में 2022 में "भारत में कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने हेतु अध्ययन" नामक एक अध्ययन शुरू किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य पंजाब राज्य सहित देश भर में 54 फसलों/वस्तुओं के फसलोत्तर नुकसान का आकलन करना था। प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों के दौरान पंजाब में चयनित विभिन्न कृषि उपज के अनुमानित नुकसान का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	फसल का नाम	अनुमानित हानि (%)	
		कृषि प्रचालन	बाजार स्तर
1.	शिमला मिर्च	1.49	2.82
2.	साइट्रस	3.62	1.78
3.	हरी मटर	4.77	1.89
4.	मक्का	4.04	2.87
5.	दूध	0.51	0.12
6.	मशरूम	5.45	1.25
7.	खरबूजा	3.23	2.25
8.	धान	2.7	0.45
9.	आलू	4.91	0.66
10.	गन्ना	3.15	1.23
11.	गेहूँ	2.84	1.71

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन और समग्र विकास करने के लिए अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय करता है:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, निर्यात को बढ़ावा देने और एफपीआई क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। इसके अलावा, मंत्रालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ समन्वय करके प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें, उद्योग परामर्श आदि आयोजित करने जैसी पहल करता है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टरों की पहचान के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी एफपीआई क्षेत्र को सहयोग देने के लिए नाबार्ड विशेष खाद्य प्रसंस्करण निधि, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) - नाबार्ड आदि योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एफएफएसएआई के साथ समन्वय करता है।

- राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में व्यक्तिगत उद्यमों/एफपीओ/एसएचजी को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) कार्यान्वित्त करती हैं । उक्त योजना के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में ,राज्य सरकारों के साथ नियमित परामर्श और समन्वय किया जाता है।

(ङ) और (च): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, विशेष रूप से अपने दो स्वायत्त संस्थानों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ्टेम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। यह सहयोग इस क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए नवाचार, उद्यमिता और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

निफ्टेम्स ने सुरक्षित (एसयूआरएकेएसएचआईटी) नामक एक तकनीक विकसित की है जो कृषि-खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्ट को पूरी तरह से जैव-निम्नीकरणीय, जैव-आधारित पैकेजिंग सामग्री में परिवर्तित करती है और पारंपरिक प्लास्टिक का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है। यह तकनीक अपशिष्ट से संसाधन बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो कृषि अपशिष्ट को एक उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। एमओएफपीआई, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने , बेहतर लॉजिस्टिक्स आदि के लिए देश भर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्रीय प्रायोजित पीएमएफएमई योजना को लागू कर रहा है , जो फसलोत्तर नुकसान की समस्या का भी समाधान करती हैं।

*****